संख्या- 683/2026/2176/22-2-2025-17(1121)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयवीर पुत्र स्व0 नत्थू सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-39076/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 29.09.2025, दिनांक 13.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयवीर पुत्र स्व0 नत्थू सिंह, ग्राम-मुडिया खेडा, थाना-गंगीरी, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। दिनांक 25.02.1979 को नत्थू के खेत से गोविन्द ने मटर उखाड़ लिया इसी विवाद को लेकर बन्दी द्वारा 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व फरसा से मारकर गोविन्द की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-420/1980, धारा-304/34 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-05, अलीगढ़ के दण्डादेश दिनांक 18.09.1982 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.09.2021 द्वारा मा० सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये 07 वर्ष के कारावास को यथावत रखा गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 29.11.2021 द्वारा मा० सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये 07 वर्ष के कारावास में आंशिक संशोधन करते हुए 06 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 18.09.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 10 माह, 14 दिन तथा 04 वर्ष, 08 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 18.09.2025 तक 69 वर्ष, 01 माह है।

3- सिद्धदोष बन्दी जयवीर पुत्र स्व० नत्थू सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 18.09.2025 तक बन्दी की 69 वर्ष की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 06 वर्ष के कारावास के सापेक्ष दिनाक 18.09.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 10 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 08 माह की भोगी गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयवीर (बन्दी संख्या-19667) पुत्र स्व0 नत्थू सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर की गयी संस्तुति को सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की समयपूर्व रिहाई श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 683/2026/2176(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रि0मिस0 रिट पिटीशन संख्या-13889/2025 जयवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2025 के सन्दर्भ में।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।